उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या – 12/2020

विश्वनाथ गुप्ता बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
27.12.2022	यह वाद आवेदक विश्वनाथ गुप्ता, पिता–स्व० फेकन राम गुप्ता, निवास ग्राम–बरलंगा, पो०–बरलंगा, थाना–बरलंगा, जिला–रामगढ़ द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर W.P(C) No.-2643/2014 Bishwanath Gupta Vrs. The state of Jharkhand & Others. में दिनांक–18.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया। वाद को अंगीकृत करने के उपरांत प्रश्नगत भूमि के बावत् दावा/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराने हेतु अपीलार्थी को सूचना निर्गत किया गया एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की। आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा भी कई तिथियों से पैरवी नहीं दिया गया है। आवेदक को अनेकों मौके दिये जाने के बवजुद अनुपस्थित रहे है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद का निस्तार हेतु अभिरूचि नहीं है। अतः दायर वाद के प्रति आवेदक का उदासीनता को देखते हुए इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है। संचित करें। लेखापित एवं संशोधित। माधवी मिश्रा 27.12.2022 उपायुक्त, रामगढ़। माधवी मिश्रा 27.12.2022 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2022.12.29 12:28:07 +05:30
Location: 192.168.0.17